Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- किशनगढ, अजमेर में मेडिकल ज्यूरिष्ट 1 लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी

जयपुर, *26 अक्टूबर*/ ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर अजमेर इकाई द्वारा आज मंगलवार को कार्यवाही करते हुये मनोज स्वामी मेडिकल ज्यूरिष्ट, यज्ञनारायण चिकित्सालय, किशनगढ़, जिला अजमेर को परिवादी से 1 लाख रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की अजमेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि मेरे बड़े भाई द्वारा पुलिस थाना किशनगढ़ शहर में दर्ज करवाये गये प्रकरण संख्या 260/21 में परिवादी पक्ष के व्यक्तियों के आयी गंभीर चोटों को मेडिकल रिपोर्ट में आरोपी डॉ0 मनोज मेडिकल ज्यूरिष्ट द्वारा धारा 307 आई.पी.सी. के दायरे में आने वाली चोट दर्शाने की एवज में 2 लाख रूपये रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी अजमेर इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री अनूप सिंह** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया गया। जिस पर आज उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये **मनोज स्वामी** पुत्र श्री कन्हैयालाल स्वामी निवासी 1266 रंगोली गार्डन वैशाली नगर, जयपुर हाल **मेडिकल ज्यूरिष्ट यज्ञनारायण चिकित्सालय, किशनगढ जिला अजमेर** को परिवादी से **1 लाख रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।